लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पी.आई.डी.पी.आई.)

पी.आई.डी.पी.आई. क्या है ?	• पी.आई.डी.पी.आई. भारत सरकार का एक संकल्प है. • इसके अंतर्गत दर्ज की गयी सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है.
पी.आई.डी.पी.आई. के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है ?	• समस्त शिकायतें सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग को संबोधित की जाए एवं लिफाफे के ऊपर "पी.आई.डी.पी.आई. (PIDPI)" का अवश्य उल्लेख किया जाए. • शिकायतकर्ता का नाम एवं पता लिफाफे पर न लिखें परंतु बंद लिफाफे के भीतर शिकायतपत्र में लिखें.
शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने संबंधी दिशानिर्देश	• यदि शिकायतें शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है अथवा जो किसी अन्य प्राधिकारी को संबोधित की गयी हैं तो पहचान के प्रकटन का जोखिम बढ़ जाता है. • शिकायत को खुले लिफाफे में न भेजी जाए और न ही किसी सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से भेजी जाए . • ऐसे दस्तावेज़, जो पहचान प्रकट करते हों, को शिकायतपत्र के साथ संलग्न न किया जाए और न ही शिकायतपत्र में उल्लिखित किया जाए : उदाहरणार्थ - सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज़. • शिकायत की पुष्टि हेतु शिकायतकर्ता का नाम एवं पता लिफाफे के भीतर शिकायत पत्र में उल्लिखित किया जाए. • शिकायतों को सम्यक पुष्टि के अभाव में बंद कर दिया जाएगा. • बेनामी / छद्मनामी पत्रों का विचार नहीं किया जाएगा.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.cvc.gov.in देखें